रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 1972/भाद्र 21, 1894
No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1972/BHADRA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th September 1972

SUBJECT.—*Export of hand woven woollen carpets, woollen chain stitched rugs and hand woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto* 32,000 *knots sq. metre.*

No. 19-ETC(PN)/72.—In partial modification of paragraph 3of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 7-ETC(PN)/72, dated 18th April, 1972, it is notified that exports of hand woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32,000 knots per sq. metre will continue to be licensed freely on shipping bills, as already indicated.

2. Exports would also be allowed on out-right sale basis. However the minimum export floor price has been *raised* from Rs. 60 per sq. metre to Rs. 70 per sq. metre with immediate effect.

3. Exporters who have secured contracts prior to the date of this notification on prices below Rs. 70 per sq. metre but above Rs. 60 per sq. metre should register their contracts with the Handicrafts & Handlooms Export Corporation (HHEC) by 30th September, 1972. HHEC will scrutinise these contracts and issue clearance certificates by 31st October, 1972, provided it is satisfied that the contracts is in order and genuine. No exports at prices below Rs. 70 per sq. metre will be allowed

from today till the exporter secures this clearance certificate from HHEC by 31st October, 1972. There-upon the last date by which the exporter must ship his goods is 30th November, 1972 and no exports on price below Rs. 70 per sq. metre will be allowed after 30th November, 1972.

M. M. SEN.
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1972.

विषय.—हाथ से बुने हुए कालीनों, ऊनी लड़ियों से सिले हुए गलीचे तथा फारसी और मुबारिक डिजाइन के हाथ से बुने ऊनी कालीनों का 32,000 गांठ वर्ग मीटर तक निर्यात ।

संख्या : 19–ई० टी० सी० (पी एन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 7–आई० टी० सी० (पीएन)/72, दिनांक 18–4–1972 की कंडिका 3 का आंशिक आशोधन कर यह अधिसूचित किया जाता है कि फारसी तथा मुबारिक डिजाइन के 32,000 गांठ वर्ग मीटर तक के हाथ के बुने हुए ऊनी कालीनों का निर्यात करने के लिए यथा पूर्व संकेतित पोतलदान बिल पर लाइसेंस दिया जाना जारी रहेगा ।

2. निर्यात एक दम बिक्री के आधार पर भी स्वीकृत किया जाएगा । लेकिन, निर्यात के न्यूनतम मूल्य के कम से कम मूल्य को तत्काल ही 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ा कर 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है ।

3. वे निर्यातक जिन्होंने इस अधिसूचना के पूर्व ही 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कम किन्तु 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक पर संविदा प्राप्त कर ली है, उन्हें अपनी संविदाओं का पंजीयन 30–9–72 तक दस्तकारी तथा हाथ करघा निर्यात निगम (एच एच ई सी) के यहां करा लेना चाहिए । यदि उस बात की पुष्टि कर दी जाती है कि संविदा आदेशानुसार है और उचित है, तो दस्तकारी तथा हाथकरघा निर्यात निगम इन संविदाओं की संवीक्षा करेगा और 31–10–72 तक निकासी प्रमाणपत्र जारी करेगा । निर्यातक जब तक दस्तकारी तथा हाथ करघा निर्यात निगम से इस निकासी प्रमाण-पत्र को प्राप्त नहीं कर लेता, आज से 31–10–72 तक किसी भी प्रकार का निर्यात 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा । फलत : निर्यातक को अपने माल का जिस अन्तिम तारीख तक पोत लदान कर लेना चाहिए वह 30–11–72 है और 30–11–72 के बाद किसी भी प्रकार के निर्यात को 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972